न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी (नागौर) राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 111/2023

चुकादेवी बनाम कृष्णादेवी वगैराह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.

दिनांक 17.02.25

–:: आदेश ::–

प्रार्थी (प्रतिवादी) ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपरोक्त अनुवान का वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। वादीनी ने एक झूठा एवं तथाकथित वाद श्रीमान के न्यायालय में पेश किया, जो वादीनी ने स्वच्छ हाथों से पेश नहीं किया है, वादीनी ने गलत व झूठे तथ्यो के आधार पर यह वाद श्रीमान के समक्ष बंटवाड़ा एवं खातेदारी घोषणा हेतु पेश किया है, जिसको पेश करने का वादीनी को कोई अधिकार नहीं है। वाके मौजा बनवाड़ा की सरहद में स्थित खेत खसरा नं. 758 रकबा 1.4700 हैक्टेयर, खसरा नं. 759 रकबा 0.0800 हैक्टेयर गै. मु. रास्ता, खसरा नं. 760 रकबा 0.2800 हैक्टेयर कुल खसरे 3 कुल रकबा 1.8300 हैक्टेयर की भूमि वादीनी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 13 की संयुक्त खातेदारी अधिकार की अवश्य आई हुई हैं, जिसमें प्रतिवादी सं. 1 का 1/8 हिस्सा आया हुआ है। मौके पर आपसी सहूलियत से वादीनी व प्रतिवादीगण ने बंट कर रखा है तथा प्रतिवादी सं. 1 अपने 1/8 हिस्सा की भूमि पर काश्त व काबिज है, जिसमें वादीनी व अन्य प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई दखल नहीं है। खसरा नं. 763 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नं. 764 रकबा 0.2000 हैक्टेयर गै. मु.रास्ता, खसरा नं. 765 रकबा 2.1800 हैक्टेयर, खसरा नं. 768 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नं. 769 रकबा 1.6600 हैक्टेयर कुल खसरे 5 कुल रकबा 4.2700 हैक्टेयर की भूमि प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी की अकेली की काश्त व कब्जासुद भूमि है। खेत खसरा नं. 763 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नं. 764 रकबा 0.2000 हैक्टेयर गै. मु. रास्ता, खसरा नं. 765 रकबा 2.1800 हैक्टेयर, खसरा नं. 768 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नं. 769 रकबा 1.6600 हैक्टेयर कुल खसरे 5 कुल रकबा 4.2700 हैक्टेयर की भूमि पूर्व में मूरलीधर पुत्र श्री मोहनलाल की खातेदारी की थी, तब भी उक्त खसरा नं. 763, 764, 765, 768, 769 का कुल रकबा 4.2700 हैक्टेयर ही था, तत्पश्चात् प्रतिवादी सं. 1 ने उक्त खसरा नं. 763, 764, 765, 768, 769 कुल रकबा 4.2700 हैक्टेयर की भूमि को उक्त श्री मूरलीधर से खरीद कर लिया, जिसका नामान्तरकरण सं. 488 दिनांक 18.05.2018 को प्रतिवादी सं. 1 कृष्णादेवी के नाम से

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला – नागौर

ा गया और आज दिन भी उक्त भूमि का रकबा 4.2700 हैक्टेयर ही दर्ज है। इस प्रकार यह य स्पष्ट है कि किसी प्रकार का कोई गलत इन्द्राज नहीं हो रखा है व वादीनी ने गलत व े तथ्य वर्णित करते हुए यह वाद पेश किया है तथा वादीनी व अन्य प्रतिवादीगण आपस में ले हुए है और मात्र वादीनी ने प्रतिवादी सं. 1 की अन्य खसरा नं. 758, 759 व 760 की मि के सम्बन्ध में षड़यंत्र रचकर उक्त खसरा नं. 763, 764, 765, 768, 769 का कुल रकबा 2700 हैक्टेयर की भूमि पर भी स्थगन आदेश पारित करवाया, जबकि खसरा नं. 763, 764, 65, 768, 769 का कुल रकबा 4.2700 हैक्टेयर के सम्बन्ध में वादीनी को स्थगन आदेश ारित करवाने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। खसरा नं. 763, 764, 765, 768, 769 ा कुल रकबा 4.2700 हैक्टेयर की भूमि प्रतिवादी सं. 1 की अकेली की खातेदारी की काश्त कब्जासुद है, जिन्हें अपने उपयोग व उपभोग में लेने व आवश्यकतानुसार उन्हें बेचान, स्तान्तरण, अन्तरण, रहने इत्यादि करने का प्रतिवादी सं. 1 को पूर्ण अधिकार है, जिससे तिवादी सं. 1 को पाबंद नहीं किया जा सकता है। खसरा नं. 763, 764, 765, 768, 769 का कुल रकबा 4.2700 हैक्टेयर के सम्बन्ध में वादीनी किसी प्रकार से बंटवाड़ा करवाने की अधिकारी नहीं है, उक्त खसरान की भूमि प्रतिवादी सं. 1 की अकेली की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है, जिन्हें अपने उपयोग व उपभोग में लेने व आवश्यकतानुसार उन्हें बेचान, हस्तान्तरण, अन्तरण, रहने इत्यादि करने का प्रतिवादी सं. 1 को पूर्ण अधिकार है, जिससे प्रतिवादी सं. 1 को पाबंद नहीं किया जा सकता है तथा खसरा नं. 758, 759 व 760 की भूमि में प्रतिवादी सं. 1 का 1ध8 हिस्सा आया हुआ है, जिसका मौके पर आपसी सहूलियत से बंटवाड़ा किया हुआ है और प्रतिवादी सं. 1 अपने 1ध8 हिस्से की भूमि पर सहूलियत से काश्त व काबिज है।

उपरोक्त सभी कारणों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त वाद झूठे, गलत व मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है, जो पोषणीय नहीं है। जिससे उक्त वाद को खारिज किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अन्यथा प्रतिवादी संख्या 1 के हक हकूकों पर भारी कुठाराधात होगा, जिसकी पूर्ति की जाना संभव नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीनी का वाद खारिज फरमाया जावे।

वादीनी को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीनी ने वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आरटीएक्ट 1955 पेश कर कथन किया है कि मौजा बनवाड़ा में खेत खसरा नंबर 758, 759, 760 कुल रकबा 1.83 हैक्टेयर भूमि वादीनी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 13 की खातेदारी की है तथा खसरा नंबर 763, 764, 765, 768, 769 कुल रकबा 4.27 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज है। खसरा नंबर 758, 759, 760 की भूमि एक ही चक में स्थित है जिसका कुल रकबा

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला – नागौर

बीघा भूमि रही है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके 14 स्वा भूमि को खसरा नंबर 763, 764, 765, 768, 769 शामिल कर लिया है। प्रार्थीया तिवादी) द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संवत 2066 में उक्त खसरान 763, 764, 765, 768, 9 का कुल रकबा 4.27 हैक्टेयर दर्ज है तथा एकल खातेदार मुरलीधर पुत्र मोहनलाल कौम म्हण ने उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को बैचान किया है। वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के ाथ उक्त खसरा नंबर 763, 764, 765, 768, 769 की जमाबन्दी में रकबा 4.27 हैक्टेयर दर्ज । वादीनी ने अपने वाद पत्र में यह कहीं पर अंकित नहीं किया है कि उसकी खातेदारी भूमि से रकबा कम किया गया तथा ना ही कोई दस्तावेज वाद पत्र के साथ पेश किये है। इससे ष्ट है कि वादीनी ने प्रतिवादी संख्या 1 की खरीदसुदा खातेदारी भूमि को सम्मिलित करते ुए अनावश्यक वाद पेश किया है जो आदेश 7 नियम 11 (1) सीपीसी की परिभाषा में वर्जित है।

उपुर्यक्त विवेचन अनुसार वादीनी का वाद आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुरेश कुमार)
सहायक कलक्टर,
रियांबड़ी

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला नागौर

आदेश आज दिनांक 17.02.25 को मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)
सहायक कलक्टर,
रियांबड़ी

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला नागौर